हुक्म तामील
नंबर व
तारीख

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर, जिला – पाली (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– श्री राजेन्द्रसिंह आर.ए.एस.

राजस्व विविध संख्या	:–	31/2018
आर.सी.एम.एस.	:–	2018/00114
दायर तिथि	:–	03.04.2018
तारीख निर्णय	:–	09.01.2020

प्रार्थी :–

पीरसिंह पुत्र भबूतसिंह, जाति रावणा राजपुत
निवासी – पराखिया, तहसील – सुमेरपुर, जिला–पाली (राज.)

बनाम

अप्रार्थी :–

तहसीलदार (भूमिधारी) सुमेरपुर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–: निर्णय :–

दिनांक 09.01.2020

वकील प्रार्थी एवं सरकारी पैरोकार उपस्थित। बहस सुनी गयी।

प्रार्थना पत्र में वर्णित संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि :–

(1) प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि नये खाता संख्या 91 में क्रमशः खसरा नम्बर 440, 444/765, 445 रकबा क्रमशः 2.22, 0.09, 0.24 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम सरहद मौजा पराखिया, पटवार क्षेत्र नेतरा में आयी हुई स्थित है।

(2) प्रार्थी की उपरोक्त खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु रास्ता राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं है। लेकिन प्रार्थी मौके पर अपनी कृषि भूमि में आने जाने हेतु कदीमी में संलग्न नहरी नक्शा में दर्शित मार्क 'ए' से 'बी' रास्ते का उपयोग अपनी भूमि के दक्षिण दिशा में स्थित खसरा नम्बर 439 किस्म बारानी दोयम, जाव सोयम सिवाय चक भूमि में से करता आ रहा है, जो रास्ता राजस्थान सरकार की पक्की सड़क नेतरा से पराखियां से मिलता है, संलग्न राजस्व नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाया गया है। प्रार्थी के खेत में आने–जाने हेतु संलग्न राजस्व नक्शा में दर्शित लाल रंग के अलावा प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आने जाने को कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है और ना ही इसके अलावा कोई उपयुक्त स्थान है।

सरकारी पैरोकार तहसीलदार सुमेरपुर ने अपनी जांच रिपोर्ट/जबाव में यह बताया कि प्रार्थी के नाम ग्राम पराखिया के खसरा नं. 440 भूमि राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी के नाम दर्ज है। प्रार्थी के खेत खसरा नं. 440 में आने जाने हेतु राजस्व रेकर्ड में कोई रास्ता दर्ज नहीं है। प्रार्थी अपने खेत में आने जाने हेतु कदीमी में संलग्न नहरी नक्शा में दर्शित मार्क 'ए' से 'बी' रास्ते का उपयोग अपनी भूमि के दक्षिण दिशा में स्थित खसरा नम्बर 439 किस्म बारानी दोयम, जाव सोयम सिवाय चक भूमि में से करता आ रहा है, इसके अलावा अन्य कोई निकटतम रेकडेर्ड रास्ता राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं है।

हमने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत समस्त राजस्व रेकर्ड एवं अप्रार्थी सरकारी पैरोकार द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं मौका रिपोर्ट व संलग्न दस्तावेज इत्यादि का सावधानी पूर्वक अवलोकन व परीक्षण किया गया। जिससे स्पष्ट जाहिर होता है कि प्रार्थी की नये खाता संख्या 91 में क्रमशः खसरा नम्बर 440, 444/765, 445 रकबा क्रमशः 2.22, 0.09, 0.24 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम सरहद मौजा पराखिया में आने जाने हेतु संलग्न नजरी नक्शा में दर्शित मार्क 'ए' से 'बी' रास्ते का उपयोग अपनी भूमि के दक्षिण दिशा में स्थित खसरा नम्बर 439 किस्म बारानी दोयम, जाव सोयम सिवाय चक भूमि का उपयोग करता आ रहा है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आने जाने को कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है राजस्व नक्शा ट्रेस में सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 439 में से बिन्दु 'ए' से 'बी' तक दर्शाये लाल रंग अनुसार लम्बाई में 65 मीटर व चौडाई 4 मीटर रास्ता दर्ज किया जावें व उक्त भूमि नजरी नक्शा में मार्क ए से बी, रास्ता नियमानुसार डी.एल.सी. दर की दुगुनी राशि अदा किये जाने पर पटवारी हल्का नेतरा व तहसीलदार सुमेरपुर माफिक निर्णय अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करें। तथा संलग्न नजरी नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग व भाग समझा जावें।

निर्णय आज दिनांक 09.01.2020 को सरेइजलास सुनाया गया।
पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर जिला–पाली

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Singh
Date: 2020.02.13 18:38:36 IST
Reason: SelfAttested